न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज.)

दावा पत्र संख्या 31 / 2014

सत्यनारायण पिता घीसा जी ब्राम्हण बनाम श्रीमति धापू पत्नि बद्रीलाल धाकड
निवासी श्रीनगर तह0 बेगूँ निवासी बलवन्तनगर तह0 बेगूँ

दावा अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :: श्री के.सी.मंत्री
अधिवक्ता वादी
श्री विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी

आदेश दिनांक 23.12.2019

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14(3) व्य.प्र.संहिता

दावा पत्रावली में अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14(3) जा.दी. के तहत प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण के पूर्वज हरलाल जी द्वारा वादीगण के पिता घीसा पिता धुला जी ब्राम्हण निवासी श्रीनगर के पक्ष में निष्पादित बेनामा मूल सहवन से प्रस्तुत होने से रह गया। यह दस्तावेज इस प्रकरण के सही न्याय निर्णय हेतु पत्रावली में प्रस्तुत होना आवश्यक है।

यह कि उक्त दस्तावेज इसी भूमि से सम्बन्धित होकर पत्रावली में प्रस्तुत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है एवं यह दस्तावेज 52 वर्ष पुराना होकर एक संदेह से परे दस्तावेज है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि बेनामा श्री हरलाल पिता गोपाल जी धाकड द्वारा घीसालाल पिता धूला जी ब्राम्हण के पक्ष में निष्पादित दिनांक 8.8. 1967 को पत्रावली में प्रस्तुत कर प्रदर्श कराने की अनुमति प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब अधिवक्ता प्रतिवादीया अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पत्रावली में वादीगण के गवाह उपस्थित नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या दो गलत होकर अस्वीकार है। उक्त दस्तावेज वादीगण के पास वा द प्रस्तुती के समय ही उपलब्ध था, जानबूझ कर दस्तावेज पेश नहीं किया है, केवल वाद को विलम्बित करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या तीन गलत होकर अस्वीकार है, दस्तावेज केवल मात्र पुराना होने से उसकी सत्यता प्रतीत नहीं होती है। केवल प्रकरण में गवाह उपस्थित ... प्रकरण को लम्बित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 16:52:11 IST
Reason: SelfAttested

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर वादी का प्रार्थना पत्र ... खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत होने पर हमने ... प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 14 (3) जा.दी. पर उभयपक्ष की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता वादी प्रार्थी का कथन है कि वाद प्रस्तुत करते समय सहवन से वाद के साथ प्रस्तुत करने से रह गया है उक्त दस्तावेज बेनामा जो कि हरलाल द्वारा घीसालाल ब्रामहण के पक्ष में निष्पादित किया है कि वादपत्र में साक्ष्य हेतु प्रदर्श किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर दस्तावेज को प्रदर्श कराये जाने की स्वीकृती प्रदान फरमावें।

... प्रतिवादी अप्रार्थी द्वारा निवेदन इस प्रकार से किया

उभयपक्ष की बहस को सुना जाने के पश्चात हमारे द्वारा पत्रावली का एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया, उक्त बेनामा वादवर्णित आराजीयात से सम्बन्धित प्रतीत होता है, जहॉ तक दस्तावेज की सत्यता का प्रश्न है न्यायालय द्वारा प्रत्येक दस्तावेज गुणावगुण के अनुसार निर्णय किया जाता है, अधिवकता वादी का कथन है कि उक्त दस्तावेज वादपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना सहवन से रह गया था, जो अब प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुत दस्तावेज वाद वर्णित आराजी के सम्बन्धित प्रतीत होने से दस्तावेज प्रस्तुत किया जाने की स्वीकृती दिया जाना हम उचित समझते है।

अतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 निमय 14(3) जा.दी. का एतद् द्वारा स्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.12.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

23/12/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:52:11 IST
Reason: SelfAttested